न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट सं०–4/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,गोरखपुर।

इण्डियन बैंक –––––– बनाम–––––––चन्दन कुमार शुक्ला वगैरह।

सिविल वाद सं०–941/2022

दिनांक–07–02–2025

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार कराये जाने पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लंबे समय से पत्रावली पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। न्यायालय के आदेश दिनांकित 31–08–2024, 08–01–2025 द्वारा वादी को उपस्थित आने हेतु तथा पैरवी हेत अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया है, जिसके उपरांत किसी भी तिथि पर किसी भी वादी का उपस्थित आने का अंकन आदेश पत्र पर मौजूद नहीं है। न ही कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद की कार्यवाही में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः उभय पक्ष के अनुपस्थिति में वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–07–02–2025

(तरुण कुमार अग्रवाल)
जे०ओ० कोड– U.P. 2497
अपर सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट सं0–4/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,गोरखपुर।

Digitally signed by TARUN KUMAR AGRAWAL
Date: 2025.02.07 12:20:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court